1– मैं वर्ष 2004 से बी. आर. अंबेडकर मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूं, वर्ष 2008 से प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूं।

2– मेडिकल कॉलेज में दिनांक 21 सितंबर 2017 को सूरज पटेल, पिता प्रेम सिंह को पुलिस कांस्टेबल द्वारा लाया गया था। मुझे बातया गया था कि उसे धारा 302 भा.दं.सं. के अपराध में गिरफ्तार किया गया तथा उसका प्राइमरी इलाज सी.एच.सी. अभनपुर में कराया गया था और वहॉ से मेडिकल कॉलेज, रायपुर रिफर किया गया था और उसे एक दिन अस्पताल में भर्ती रखा गया और उसे 22 सितंबर 2017 को दिन में 11:00 बजे डिस्चार्ज किया गया। डिस्चार्ज किये जाते समय वह पूरी तरह स्वस्थ्य था। साक्षी का कहना है कि सूरज पटेल ने तथा पुलिस कांस्टेबल याद राम यादव ने इतना जानकारी दिया था कि आरोपी सूरज पटेल ने कुछ पाउडर खाया था, परन्तु उसकी पुष्टि नहीं हुई। उक्त डिस्चार्ज टिकिट **<u>प्र0पी0 10</u>** है, जिसके संबंध में प्रिस्क्रिबशन/डिटेल्स मेरे हस्तलेख में ए से ए भागों में है।

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री विराट वर्मा अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त सूरज पटेल–</u>

3– यह कहना सही है कि यदि कोई रासायनिक पदार्थ जो विषैला माना जाता है, उसे कोई व्यक्ति खा लेता है, तो उसके लक्ष्ण कई दिनों तक शरीर में रह सकता है। यह कहना गलत है कि मैंने सूरज का पटेल परीक्षण नहीं किया था, साक्षी का कहना है कि मेरे निर्देशन में परीक्षण किया गया।

(अभियोजन साक्षी क्र–7 डॉ. डी पी लाकड़ा)

नोट :– आज दिनांक 22/03/2018 को प्र0पी0 10 अंकित किया गया।

साक्षी को पढ़कर सुनाया गया। मेरे निर्देश पर टंकित किया गया।
सही होना स्वीकार किया।

(पंकज कुमार जैन)
अपर सत्र न्यायाधीश,
स्पेशल जज ऑफ स्पेशल कोर्ट फॉर ट्रायल
ऑफ सी.बी.आई. केसेस,
रायपुर छ.ग.

साक्षी के हस्ताक्षर .....

(अभियोजन साक्षी क्र–7 डॉ. डी पी लाकड़ा)